न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 47/2022

अपीलार्थी

विक्रम कुमार पुत्र मोडाराम जी रावल, जाति– रावल, निवासी– कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कालन्द्री, तह. सिरोही, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 22 सितम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 27/2022 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 बाबत अपीलार्थी को ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री के खसरा संख्या 2197 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म वराडा राजकीय बिलानाम भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 विधि व तथ्यों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की मंशा व प्रकृति को समझने में असफल रहा है और अपने स्वविवेक का प्रयोग नही कर मनमाने रुप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी अपने केस को साबित करने में विफल रहा है, विधि का यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी अपने पैरों पर खडा हो, अर्थात् प्रार्थी को अपना केस साबित करना था, अप्रार्थी की कमी या कमजोरी का लाभ प्रार्थी प्राप्त नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ण अनदेखी कर अप्रार्थी अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं बचाव का समुचित अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलार्थी को साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया है। अपीलार्थी को जिस खसरा संख्या 2197 की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है वह भूमि गैरसायल के पुराने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि है जिसमें गैरसायल के दादा, पिता कई वर्षो से खेती करते आ रहे है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा होने की साक्ष्य पत्रावली पर होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी विवादित भूमि का अतिक्रमी नही है। ग्राम कालन्द्री की उक्त भूमि पर प्रार्थी [illegible] में भी इसी खसरा पर कई अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई [illegible] तथा [illegible] कब्जे का ध्वस्त [illegible] जा दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:01 IST
Reason: SelfAttested

करने तथा कब्जा हटाने की धमकी देकर कब्जा हटाने तथा मकान ध्वस्त करने का उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा आदेश दिया गया, जिसमें प्रकरण संख्या 316/14 सरकार बनाम पंच महाजन विद्या मंदिर, कालन्द्री द्वारा खसरा संख्या 2197 में की गई तारबंदी एवं पोल को हटाया गया था, लेकिन राजस्व विभाग ने उक्त अतिक्रमी का पुराना कब्जा मानते हुए प्रश्नगत खसरे में से ही भूमि आवंटित की गई है। अपीलार्थी द्वारा भी विवादित भूमि के आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रुप से अपीलांट को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.10.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री द्वारा संवत 2079 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2197 रकबा 0.2200 हेक्टेयर किस्म वरडा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व तारबंदी करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को नोटिस की तामिल होने पर सुनवाई तिथि 21.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ, लेकिन कोई जवाब एवं साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया। विवादित भूमि राजस्व भू अभिलेख राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज होने एवं उस पर अपीलार्थी का अतिक्रमण किया जाना पाया जाने से बाद सुनवाई विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2079 में ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2197 रकबा 0.22 हेक्टेयर किस्म वरडा भूमि पर अतिक्रमण कर बाड व तारबंदी करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 21.10.2022 को अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ, लेकिन बचाव में कोई जवाब व सबूत प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व भू अभिलेख में ग्राम कालन्द्री, पटवार हल्का कालन्द्री के खसरा संख्या 2197 रकबा 0.22 हेक्टेयर भूमि की किस्म वरडा राजकीय भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही